रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० ..... कायोली / गुढा

आवेदन पत्र के सम्बन्ध मे जांच की गई। जिसके अनुसार

Sir निवेदन है कि पट्टे आवंटित L.D के अधिकार पत्र में भिकाराम पुत्र शाईला रेकार्ड पर श्योकरण पुत्र खुडीलाराम दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :–

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र मे वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है / की जाती है।

उक्त किया जाना उचित है

27/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

1758
29/11/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

–: आदेश :–

दिनांक :– 29/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	कायोली	2020-21	278 279	भिकाराम पुत्र शाईला	श्योकरण पुत्र खुडीलाराम

नोट :–शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :– राजस्व / 2020 / 1732–33

दिनांक :– 29/11/21

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को उपरोक्त प्रत्यर्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:21:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner